अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

(3)

पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर 60 / 2017

. अमरचन्द उम्र 65 वर्ष पुत्र मेघाराम उर्फ मेघा जाति जाट निवासी बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू

--वादी

बनाम

1. मूलचन्द उम्र 60 वर्ष पुत्र मेघाराम उर्फ मेघा जाति जाट निवासी बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू
2. सुरेन्द्र उम्र 48 वर्ष पुत्र मेघाराम उर्फ मेघा जाति जाट निवासी बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू
3. सुमित्रा उम्र 57 वर्ष पुत्री मेघाराम उर्फ मेघा जाति जाट निवासी बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू
4. तहसीलदार जरिये लैण्ड होल्डर, झुंझुनू

--प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री उम्मेद भाम्भू, एडवोकेट – वादी की ओर से

श्री श्रवण कुमार जी.ए. – राज्य सरकार की ओर से

निर्णय

दिनांक :- 15.03.2018

आज यह पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि कस्बा बगड़ में मेघाराम नाम का व्यक्ति हुआ। उक्त मेघाराम के तीन पुत्र कमशः अमरचन्द, मूलचन्द, सुरेन्द्र व एक पुत्री सुमित्रा हुई। यह कि ग्राम कायस्थपुरा में जमीन जिसके गत खसरा नम्बरा 44 रकबा 9 बीघा 5 बिश्वा थी तथा सेटलमेन्ट के पश्चात हाल खसरा न. 187 रकबा 2.34 हैक्टर वाके कायस्थपुरा भू–अभिलेख क्षेत्र बगड़ पड़े है। यह कि जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र का खातेदार काश्तकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सन 1955 लागू होने से पहले से ही वादी का पिता मेघाराम उर्फ मेघा पुत्र खेता जाति जाट साकिन देह था। उक्त मेघाराम उर्फ मेघा इस जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र का तत्कालिन ठिकाना में लगान जमा करवाता था तथा काबिज था व काश्त करता था। तहसील झुंझुनू में खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 में बनना शुरू हुई। प्रथम खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 बनी, प्रथम खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में कृषक के कॉलम 6 में उक्त मेघाराम उर्फ मेघा का नाम बतौर कृषक दर्ज है जिससे इस जमीन को मेघा द्वारा बहुत पहले से काश्त किया जाकर इसका खातेदार होना प्रकट होता है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सन 1955 तद्नुसार सम्वत 2012 में लागु हुआ। उक्त खसरा गिरदावरी सम्वत 2009–2012 में दर्ज इन्द्राज से स्पष्ट रूप से उक्त मेघाराम उर्फ मेघा का इस जमीन जैर बहस वर्णित धारा 2 वाद पत्र को खातेदार काश्तकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागु होने से पहले से होना प्रकट होता हो, कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सन 1955 लागु होने के समय जो व्यक्ति जिस जमीन पर काबिज रहा वही व्यक्ति उस जमीन का बाई आपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हुआ। इस जमीन कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में भूमि अधिकारी ने कॉलम 5 में सरफु वल्द अजमेरी कौम लुहार साकिन देह कदीम दर्ज है तथा इसी गिरदावरी के कॉलम 41 मैं दर्ज किया गया है। कि सरफु पाकिस्तान चला गया है इससे स्पष्ट है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सन 1955 से बहुत पहले ही वादी के पिता मेघा उक्त वर्णित धारा 2 वाद पत्र के काबिज काश्त है तथा वादी प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 आज दिनांक तक उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। यह कि वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित जमीन गत खसरा न. 44 व हाल खसरा न. 187 रकबा 2.34 हैक्टर बारनी उतम वादी के पिता के द्वारा उक्त भूमि के पेटे राज्य सरकार द्वारा नियत नियमानुसार सम्पूर्ण राशि जरिये चालान न. 197 दिनांक 27.03.1976 को 1379 रूपयें 99 पैसे जमा करवाये जा चुके है। इसके बाद वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता मेघा ने उक्त जमीन को अपने खातेदारी में दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादी न. 2 को एक प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त चालान की राशि की रसीद देकर उक्त जमीन को अपने नाम दर्ज करने का निवेदन किया था अनोवदक न. 2 के

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

द्वारा वादी के प्रार्थना–पत्र पर ही अनावेदक न. 2 के द्वारा पटवारी हल्का को उक्त जमीन का नामानतरकरण वादी व प्रतिवादी न. 1 लगायत 3 के पिता के नाम दर्ज करने के लिए निर्देशित किया था। वादी व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 के पिता के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पटवारी हल्का को देने पर पटवारी हल्का ने वादी के पिता को कहा कि उक्त भूमि को मैं आपके नाम दर्ज कर दूंगा। लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों कि सहवन से उक्त भूमि का नामान्तरकरण वादी व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 के पिता के नाम दर्ज नही हो सका। यह कि वादी के पिता के देहान्त के वाद उक्त आराजी के टिनेन्सी राईट्स उत्तराधिकार में वादी के पिता व पिता के वाद वादी व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 को प्राप्त हुए तथा वादी बतौर टिनेन्ट काविज काश्त है। राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन को दुरुस्त किया जाकर वादी व प्रतिवादी न. 1 लगायत 3 उक्त विवादित आराजी का टिनेन्ट घोषित होने के हकदार है। यह कि राजस्व रिकार्ड से टिनेन्सी पैदा नही होती है तथा ना ही राजस्व रिकार्ड से टिनेन्सी खत्म की जा सकती है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से लगातार विवादित आराजी को काश्त वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता की दिखाई गई है और वाद में राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में गलत अंकन कर रखा है जो विना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज की गई है जो अवैध एंव शुन्य है तथा उपरोक्त अनुसार बने राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के वादी एवं प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 हकदार है यह कि वादी के द्वारा ऋण लेने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 30.03.2017 को प्राप्त हुई तो वादी को गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई। चूंकि यह वाद खातेदारी घोषित करवाने के लिए है जिसमें लैण्ड होल्डर तहसीलदार पक्षकार है जो कि एक लोक सेवक है लोक सेवक के विरूद्ध में किसी भी वाद के प्रस्तुतीकरण से पूर्व 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण 2 माह का नोटिस देकर वाद पत्र पेश करने पर प्रकरण की नेचर ही वदल जायेगी। इसलिए वाद पत्र विना नोटिस पेश करने के लिए अलग से प्रार्थना–पत्र अ. धारा 80(2) सी.पी.सी. का पेश किया जा रहा है। अतः वादी की ओर से वाद पत्र पेशकर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र डिक्री फरमाया जाकर भूमि खसरा न. 44 रकवा 9 बीघा 5 विश्वा हाल खसरा न. 187 रकवा 2.34 हैक्टर वाके ग्राम कायस्थपुरा तहसील झुंझुनू का वादी व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार झुंझुनू को दिया जावे तथा वादी व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 का मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर वादी व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 के नाम अलग से खतौनी व लगान कायम किया जावे। उक्त भूमि से संबंधित गलत बने राजस्व रिकार्ड से वादी व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 पावन्द नही है। वादी व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 के अधिकारों पर प्रभावहीन है। अन्य सिद्धि जो वादी व प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 के हक में हो तथा भूल से चाही जाने से रह गई हो वो धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाई जावें। उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलव किया गया। प्रतिवादी न. 5 द्वारा अपना जवाब दावा पेशकर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी न. 1 लगायत 3 वावजुद तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हमने वाद में वर्णित तथ्यों व जवाब दावा पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार ने वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए वहस वकील पक्षकारान पर वगौर मनन किया गया। वकील वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में भूमि अधिकारी ने कॉलम न. 5 में सरफू वल्द अजमेरी कौम लुहार साकिन देह कदीम दर्ज है तथा इसी गिरदावरी में कॉलम न. 41 में दर्ज किया गया है कि सरफू पाकिस्तान चला गया। वाद में वर्णित भूमि वावत राज्य सरकार द्वारा नियत नियमानुसार सम्पूर्ण राशि जरिये चालान न. 197 दिनांक 27.03.1976 को 1379 रूपये 99 पैसे राजकोष में वादी के पिता द्वारा जमा करवाये गये है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन को दुरूस्त किया जाकर वादी व प्रतिवादी न. 1 लगायत 3 को विवादित आराजी का टिनेन्सी घोषित करने का निवेदन किया है। जिसके तर्क में राजकीय अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि निष्कान्त (पुनर्वास विभाग) की सम्पति है। क्योकि वादी स्वयं ने खातेदार को पाकिस्तान जाना व विवादित भूमि वावत राशि जमा कराने जाहिर की है। विवादित भूमि में वर्तमान में काश्तकार, खातेदार सरफू चला आ रहा है। निष्कान्त सम्पति राज्य सरका में नियत होती है। इसलिए वाद वादी मय खर्चे खारिज करने का निवेदन किया है। उपर्युक्त सभी तथ्यो व राजस्व रिकार्ड से यह विवादित भूमि निष्कान्त सम्पति पुनर्वास विभाग होना जाहिर होती है। कि प्रार्थी वादी राज्य सरकार से (पुनर्वास विभाग) से समय–समय पर प्राप्त परिपत्रों की रोशनी

उप अधिकारी
झुंझुनूं (राजस्थान)

Scanned by CamScanner